महत्वपूर्ण एवं खास

महाकुंभ ले जाने के नाम पर धोखाधड़ी, थाने में एफआईआर दर्ज

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर में महाकुंभ और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ितों ने इसकी शिकायत जगदलपुर कोतवाली थाने में की है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़ितों ने बताया, परचनपाला के रहने वाले योगेन्द्र पांडे ने कुंभ और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के नाम पर बस्तर के 55 लोगों से 7 से 8 हजार रुपए ले लिए, लेकिन प्रयागराज और काशी दर्शन के बाद यात्रियों को वादे के अनुसार अन्य स्थान नहीं ले गए. यात्रियों के विरोध करने पर योगेन्द्र पांडे और उसके साथियों ने यात्रियों से बदसलूकी भी की और कोरबा के पास बस छोडक़र भाग गए. **योगेंद्र पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज-** सभी यात्री किसी तरह पैसे इक_ कर वापस जगदलपुर पहुंचे. इसके बाद सभी ने कोतवाली थाने में योगेंद्र पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

सारंगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में 21 से 23 तक मदिरा प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ (आरएनएस)। पंचायत आम निर्वाचन के तृतीय चरण का चुनाव जिले के सारंगढ़ ब्लॉक में होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने मतदान और मतगणना को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़ क्षेत्र के सारंगढ़, रेड़ा, कोसीर और टिमरलगा में संचालित देशी-विदेशी मदिरा दुकान, कंपोजिट मदिरा दुकान, अहाता देशी-विदेशी मदिरा दुकान को आगामी 21 फरवरी के अपराह्न 3 बजे से 23 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक बंद रखने के लिए आदेश जारी किया है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मदिरा खरीदी, बिक्री, परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सोमेश सिंह लामा बने स्टेट चैंपियन

सूरजपुर (आरएनएस)। रायगढ़ में चल रहे 23 वीं राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में लगातार 3 वर्ष भी सोमेश सिंह लामा ने अपना दबदबा कायम रखा। 40 वर्ष के आयु वर्ग में सोमेश सिंह लामा ने सिंगल्स में गोल्ड मिक्स डबल्स में गोल्ड एवं डबल्स में सिल्वर मेडल में अपना कब्जा जमाया । सिंगल्स में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल मैच में बिलासपुर के अमित कटालिया को 21-19, 21-12 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, सेमीफाइनल में रायगढ़ के एल्बिनस लकड़ा को 21-15, 21-13 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई, फाइनल मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए सोमेश सिंह लामा ने कोरबा के ओम प्रकाश साहू को सीधे सेटो में 21-07, 21-15 हराकर तीसरी बार चौंपियन का खिताब अपने नाम किया एवं अब सोमेश सिंह लामा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधत्व गोवा में होने वाले राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में करेंगे। इनकी उपलब्धि से सूरजपुर बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल एवं सचिव संदीप अग्रवाल जी ने बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

सारंगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में 21 फरवरी को दोपहर से 23 फरवरी तक मदिरा प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। पंचायत आम निर्वाचन के तृतीय चरण का चुनाव जिले के सारंगढ़ ब्लॉक में होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने मतदान और मतगणना को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़ क्षेत्र के सारंगढ़, रेड़ा, कोसीर और टिमरलगा में संचालित देशी-विदेशी मदिरा दुकान, कंपोजिट मदिरा दुकान, अहाता देशी-विदेशी मदिरा दुकान को आगामी 21 फरवरी के अपराह्न 3 बजे से 23 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक बंद रखने के लिए आदेश जारी किया है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मदिरा खरीदी, बिक्री, परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

गांजा तस्करी में शामिल जीआरपी आरक्षकों की करोड़ों की संपत्ति फ्रीज, गांजे के पैसे से खरीदे थे आलीशान घर और गाड़ियां

बिलासपुर । आरएनएस

ट्रेन के जरिए गांजा तस्करी करने वाले जीआरपी आरक्षक व उनके परिजनों की आय से अधिक संपत्ति को साफेमा कोर्ट मुंबई ने फ्रीज करने का फैसला सुनाया है। आरोपियों की करीब डेढ़ करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई है। बता दें कि जीआरपी का आरक्षक अपने साले के बैंक अकाउंट में गांजा तस्करी का पैसा जमा कराता था। तस्करी के पैसे से लक्जरी मकान व गाडिय़ां खरीदी थी।

दरअसल, 23 अक्टूबर 2024 को बिलासपुर के जीआरपी ने आरोपी योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी के कब्जे से 20 किलो गांजा जब्त किया था। मामले की जांच में पता चला कि जीआरपी थाना बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नु प्रजापति, संतोष राठौर और सौरभ नागवंशी गांजा तस्करी में शामिल हैं। इनके द्वारा ट्रेन में गांजा पकडक़र उसे बेचने के लिए अपने सहयोगी योगेश उर्फ गुड्डू, श्यामधर उर्फ छोटू को देते थे। आरक्षकों द्वारा ट्रेन में पेट्रोलिंग चेकिंग ड्यूटी में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, चांपा, सक्ती, रायगढ़ आदि जगहों में जाते समय अपने साथ आरोपी गुड्डू उर्फ योगेश सोंधिया, छोटू उर्फ श्यामधर चौधरी को साथ में लेकर जाते थे।

ट्रेन में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद होने पर छोटू और गुड्डू की मदद से गांजा खरीदी के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को ट्रेन में ही गांजा की सप्लाई कर देते थे। मामले को लेकर पुलिस की फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन व इंड-टू-इंड कार्रवाई में पता चला कि आरोपी आरक्षक गांजे की तस्करी में शामिल रहकर रकम को स्वयं के व बेनामी बैंक खातों में जमा कर देते थे। आरोपियों द्वारा तस्करी से कमाए गए राशि से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति व लक्जरी वाहन खरीदे गए थे, जिन्हें एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त की गई। मामले में न्यायालय साफेमा मुंबई ने सूची अनुसार अवैध आय से क्रय संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।

इन संपत्तियों को किया गया जब्त

लक्ष्मण गाईन, कृष्णा गाईन – मौजा सिरगिट्टी तहसील बिल्हा नप सिरगिट्टी वार्ड क्र. 7 में 1600 वर्गफुट भुखंड जिस पर मकान निर्मित है। अनुमानित बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए, संतोष राठौर – मौजा फरसवानी तह. करतला जिला कोरबा 5232 वर्गफीट भुखंड अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपए, मन्नू प्रजापति – मौजा नगपूरा बोदरी विख बिल्हा तह. बोदरी जिला बिलासपुर 1250 वर्गफुट अनुमानित बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए , कुसुम प्रजापति पति मन्नू प्रजापति, मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर वार्ड क्र. 7 संत 1428 वर्गफुट भुखंड जिस पर मकान निर्मित है। अनुमानित बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए, मन्नू प्रजापति – मौजा सिरगिट्टी वार्ड क्र. 7 बिलासपुर 1000 वर्गफुट भूखंड अनुमानित बाजार मुल्य करीब 10 लाख रुपए है।

धोखाधड़ी के आरोपी सागर बजाज की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की कोर्ट ने

❒ **पुलिस रिकॉर्ड में फरार है आरोपी, लेकिन घूम रहा खुलेआम**

कोरबा । आरएनएस

रायपुर के एक कारोबारी से लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले कोरबा के जालसाज सागर बजाज की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार जालसाज सागर बजाज की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद सागर बजाज की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया। सागर बजाज पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है, जबकि सूत्रों के अनुसार बुधवार 19 फरवरी को वह एक सफेदपोश के साथ रायपुर में चार पहिया वाहन में घूमता देखा गया है। बताया जाता है कि एफ आई आर होने के बाद से वह पुलिस रिकॉर्ड में भले ही फरार है, लेकिन कोरबा में खुलेआम घूमता रहा है। उल्लेखनीय है कि जालसाज सागर बजाज ने रायपुर में एक कारोबारी से धोखाधड़ी की है। कोरबा के ठेकेदार ने इलाईट प्राइवेट कम्पनी के संचालक से चार ट्रक को 2 लाख 50 हजार रूपए प्रतिमाह किराया एग्रीमेंट बनाकर 6 लाख का चेक देकर धोखाधड़ी की है। पैसा मांगने पर गाड़ी वापस नहीं करने की धमकी भी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार रायपुर अंतर्गत 70 जी. टी. केपीटल होम सडडू निवासी क्षीर सागर ने मोवा थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह निसान इलाईट प्रा. लि. का डायरेक्टर है। 6 माह पूर्व उसको कोरबा के सागर का फोन आया था। जिसमें उसने कम्पनी से चार ट्रक को 2,50,000- रूपये प्रतिमाह की दर से एग्रीमेन्ट कर प्लांट एवं माईन्स, अडानी पावर कठली रायगढ एवं डी बी पावर के लिए, कुसमुण्डा माईन्स मे लगाने का झांसा देकर चेक से एडवांस पेमेंट कर अपने बंधन बैंक खाता शाखा कोरबा के नाम से 4 और 5 लाख का चेक दिया था। जिसे लेकर क्षीर सागर ने कम्पनी से अपने चार ट्रक को सागर बजाज के पास कोरबा रवाना कर दिया। जहां ट्रकों को कुसमुंडा कोल माइंस और प्लांट में चलावाया जा रहा था। क्षीरसागर ने जब सागर बजाज के दिए चेक को बैंक में लगाया तो वह बैंक में अनादरित हो गया। इस पर कम्पनी के सुपरवाइजर चितेश्वर ने सागर को पैसा वापस करने के लिए फोन करने पर सागर ने चितरेश्वर को चेक फाड़ कर वीडियो बनाने को कहा और गाड़ी वापस न करने की धमकी दी। सागर बजाज ने क्षीरसागर को धोखाधड़ी करने के आशय से विश्वास जीतकर मुनाफा कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी कर कम्पनी को 20 लाख रूपए का नुकसान पुहंचाया। कम्पनी डायरेक्टर ने इसकी शिकायत रायपुर के पंडरी थाना में दर्ज कराया है। पुलिस ने कोरबा निवासी सागर बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 316-5, 317-4 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 का प्रकरण दर्ज किया है।

सूत्रों के अनुसार सागर बजाज इससे पहले भी रायपुर करीब एक करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी कर चुका है। उक्त मामले में वह लंबे समय तक जेल में बंद था। उस समय सागर बजाज अपने पिता वीरू बजाज के साथ परिवार सहित रायपुर में रहता था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद पूरा परिवार कोरबा लौट आया था। बताया जाता है कि रायपुर में की गई धोखाधड़ी के पैसों से परिवार के एक सदस्य के जरिये कोरबा में मोबाइल का बड़ा कारोबार शुरू कर लिया था। धोखाधड़ी का मामला ठंडा होने के बाद मोबाइल दुकान का कारोबार अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद मोबाइल दुकान में सट्टा का मामला पकड़ा गया।

मादक पदार्थों की तस्करी मामले में तीन युवक पहुंचे जेल

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा ड्रग पैडलर्स के खिलाफ रासुका जितना सख्त पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देश पर ऐसे दर्जनों आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत केस बनवाया गया है एवं रायपुर संभाग कमिशनर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजा गया हैं। विदित हो कि पिट एनडीपीएस रासुका जितना ही कठोर कार्यवाही है। कमिशनर महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत 03 आरोपियों को सजा सुनाई है। जिसके तहत् 01. हबीब खान पिता स्व. फिरोज खान उम्र 25 साल निवासी मकान नंबर 391 जनता कालोनी गुढिय़ारी थाना गुढिय़ारी रायपुर। 02. संगम मेश्राम उर्फ सोनू पिता दिलीप मेश्राम उम्र 26 साल निवासी प्रेमनगर गुढिय़ारी थाना गुढिय़ारी रायपुर। 03. अजय यादव उर्फ छैला पिता रामपारस यादव उम्र 38 साल निवासी गुप्ता होटल के पास बीरगांव थाना गुढिय़ारी रायपुर को 03 माह की सजा दी है। जिस पर उक्त तीनों को पिट एनडीपीएस में जेल भेजा गया, तीनों आरोपी थाना गुढिय़ारी क्षेत्र के निवासी है।

भारत का हर पाचवां पुरुष शराबी, टॉप टेन में छत्तीसगढ़ भी शमिल

रायपुर/नई दिल्ली । आरएनएस

भारत में शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शराब पीने में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (ह्स्न।।स्) के मुताबिक भारत का हर पाचवां पुरुष शराबी है यानी शराब पीता है। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल दिल्ली में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या में दोगुना वृद्धि दर्ज की गई है। ये जानकारियां राज्यसभा में डॉ. वी. शिवदासन की तरफ से उठाए गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है।

ह्स्न।।स् की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर पांचवां पुरुष यानी देश के 22.4% पुरुष शराब के शौकीन हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में शराब पीने वाले पुरुषों के प्रतिशत में कमी आई है। 2015-16 में यह आंकड़ा 29.2 प्रतिशत था जो कि अब कम हुआ है।

देश के टॉप-10 राज्यों में छत्तीसगढ़

शराब पीने वाले पुरुषों में 59.1 प्रतिशत के साथ गोवा सबसे आगे है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (56.6 प्रतिशत), तेलंगाना (50 प्रतिशत), झारखंड (40.4 प्रतिशत), ओडिशा (38.4 प्रतिशत), सिक्किम (36.3 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (35.9 प्रतिशत), तमिलनाडु (32.8 प्रतिशत), उत्तराखंड (32.1 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (31.2 प्रतिशत), पंजाब (27.5 प्रतिशत), असम (26.5 प्रतिशत), केरल (26 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (25.7 प्रतिशत) का स्थान है।

आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण की शुरुआत

कबीरधाम । आरएनएस

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 04.10.2023 को जारी किया गया था, जिसके तहत 01.01.2024 से 06.03.2024 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया के तहत राजनांदगांव रेंज अंतर्गत चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज़ सत्यापन

चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में दस्तावेज़ों की जाँच, शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दिनांक 26.02.2025 से प्रारंभ होगी। परीक्षा स्थल निम्नानुसार निर्धारित किया गया है—

परीक्षा स्थल: केकतीबाड़ी मैदान, आत्मानंद स्कूल छुईखदान के सामने, थाना एवं पोस्ट—छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई।

प्रवेश पत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश

अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे—

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त निर्देशों का पालन करें।

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों।

मूल दस्तावेज़ एवं आवश्यक प्रमाणपत्र साथ लाएँ, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं होगी एवं अनुचित साधनों का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभ्यर्थियों से अपील की जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित—

किसी भी अफवाह अथवा भ्रामक सूचना से बचें।

केवल अधिकृत सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व पहुँचकर सभी प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से पूर्ण करें।

परीक्षा के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला पुलिस कार्यालय अथवा छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।

अवैध शराब बिक्री पर घरघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्यवाई, 107 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

जिले में त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर गांव में पुलिस की अतिरिक्त टीम सतत पेट्रोलिंग एवं मुखबीरों के जरिए सभी गतिविधियों पर निगाह रखे हुए है । इसी क्रम में घरघोड़ा पुलिस ने मुखबीर सूचना पर ग्राम अमलीडीह में अवैध महुआ शराब की बिक्री कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकिंकर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि

ग्राम अमलीडीह में सुनील कुमार पंडा भारी मात्रा में महुआ शराब का अवैध रूप से व्यापार कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक के नेतृत्व में पुलिस टीम को छापेमारी के लिए भेजा गया।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति जरेकिन में शराब रखकर कुछ लोगों को बेच रहा था। पुलिस को देखते ही खरीददार भाग निकले, लेकिन पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुनील कुमार पंडा (43 वर्ष), निवासी ग्राम अमलीडीह, ब्राह्मण मोहल्ला, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ बताया।

आरोपी के कब्जे से सात जरेकिन में भरी कुल 107 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 16,050 रुपये आंकी गई है। साथ ही, मौके से 300 रुपये नकद भी जब्त किए गए। मामले में थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 45/2025 के तहत धारा 34(2) एवं 34(ख) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रामकिंकर यादव, प्रधान आरक्षक अरविंद लकड़ा, महिला आरक्षक रश्मि तिर्की सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

ड्यूटी के दौरान हुई पिता की मौत, बेटे ने फिर भी निभाया चुनाव में अपना फर्ज

❒ **निजी दुख से ऊपर उठकर राष्ट्रीय कर्तव्य को दी प्राथमिकता**

कोरबा । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में पिता की मौत की खबर मिलने के बाद भी शिक्षक बेटे ने पहले अपनी चुनाव ड्यूटी निभाई और फिर नम आंखों से पिता का अंतिम संस्कार किया। 55 वर्षीय बजरंग पटेल की सीढिय़ों से गिरने के कारण मौत हो गई।

मामला देवरमाल गांव की है। घटना के समय उनके बेटे चूड़ामणि पटेल की अकलतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी ड्यूटी पर तैनात थे। पिता की मौत की खबर मिलने पर भी चूड़ामणि शोक में डूब गए। एक ओर उनका मन पिता के अंतिम दर्शन के लिए बेचैन था, वहीं दूसरी ओर देश के लोकतांत्रिक कर्तव्यों का भी सवाल था। लेकिन चूड़ामणि ने पहले अपनी चुनाव ड्यूटी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने परिवार को संदेश भेजा कि उनकी ड्यूटी पूरी होने तक पिता का अंतिम संस्कार न किया जाए। बेटे ने ड्यूटी पूरी करने के बाद पिता का अंतिम संस्कार किया। बजरंग पटेल घर में सीढ़ी से गिरकर गंभीर

रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर में गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। मगर लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उस वक्त उनका बेटा चूड़ामणि उनके साथ नहीं था। चूड़ामणि की ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगी थी। जब उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली, तो उनके लिए यह पल बेहद कठिन था।

एक ओर उनका मन पिता के अंतिम दर्शन के लिए बेचैन था, वहीं दूसरी ओर देश के लोकतांत्रिक कर्तव्यों का भी सवाल था। लेकिन चूड़ामणि ने उस समय जो निर्णय लिया, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। उन्होंने तत्काल अपने परिवार को संदेश भिजवाया कि वे अभी चुनावी ड्यूटी में हैं और उनकी गैरमौजूदगी में अंतिम संस्कार न किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक वे अपनी ड्यूटी पूरी कर घर नहीं पहुंचते, तब तक उनके पिता का अंतिम संस्कार न किया जाए। यह सुनकर परिजन भावुक हो गए और उनके निर्णय का सम्मान किया। जब चूड़ामणि ने अपना निर्वाचन कार्य पूरा किया, तो वे घर पहुंचे। अपने पिता का चेहरा देखते ही उनकी आंखें छलक पड़ीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। आज जब उनके पिता की अंत्येष्टि हुई, तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। उनकी इस कर्तव्यनिष्ठा की गांव और आसपास के क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। लोग उनके इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने निजी दुख से ऊपर उठकर राष्ट्रीय कर्तव्य को प्राथमिकता दी।